

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान— बीकानेर

आदेश

यह है कि श्री विजय सिंह मीणा, प्रधानाचार्य, राउमावि रायथल, वारां के विरुद्ध पीईईओ क्षेत्र में कार्यरत महिला अध्यापिका के साथ फोन पर प्रेम प्रसंग करने का दबाव डालने, वाट्सएप पर नयी फोटो मांगने, वाट्सएप पर प्रेम पत्र भेजने, नोटिस देकर मजबूरियों का फायदा उठाने, मनोरंजन करने हेतु दबाव बनाने, राजकार्य में छूट के बदले अवांछनीय मांगे मनवाने हेतु दबाव डालकर शारीरिक शोषण किये जाने की मानसिकता रखने इत्यादि के संबंध में पुलिस थाना सीसवाली, मांगरोल, वारां में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है।

अतः श्री विजय सिंह मीणा, प्रधानाचार्य, के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रारंभ करते हुए राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर रहेगा एवं इन्हें निर्दाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

फॉर्मला (स्थितिगत आवश्यकता) २०/३३८८ लि ५५५५

प्राप्ति क्रमांक (१००) उम्मीद ११५००/१०००/२२१८.२०२०

दस्तावेज़ का लिखान विभाग/वारां तत्काल (सौरभ स्वामी)

७२११७ के स्थितिगत स्थिति, अप्पा/फॉर्मला ७२११७ आई.ए.एस.

बीमांक का आपाल क्षेत्र का दस्तावेज़ तत्काल भर दिया जाए। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

८१५०० रुपये दस्तावेज़ देते हैं।

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/वि० जॉच/११५००/४३/२०२० / ११५००/१००५/२०२० दिनांक:- २९/०५/२०२०

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है :-

1. संयुक्त निदेशक (कार्मिक) संस्थापन "एवी" अनुभाग कार्यालय हाजा।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) गाध्यमिक शिक्षा, वारां को प्रेपित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निलम्बन आदेश संबंधित कार्मिक को तत्काल सर्व करवाकर प्रभाणित पायती प्रेपित करावें।
4. अनुभाग अधिकारी, रोपन अनुभाग कार्यालय हाजा।
5. श्री विजय सिंह मीणा, प्रधानाचार्य, राउमावि रायथल, वारां द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, वारां।
6. रक्षित पत्रावली।

क्रमांक : → एलाइफ्टो/अन्ता/सगांव/१०५०/२१२

दिनांक ३०.५.२०२०
अन्ति. निदेशक
३०.५.२०२०/१३५०० माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर